फर्द अहकाम

विविध/अवमानना प्रा.पत्र संख्या-004/2012
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2012/00004)
अमरसिंह बनाम उषादेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी
24.07.18	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम पदाला बेरा (मण्डोर द्वितीय) तहसील जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 848 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 597 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 598 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 850/1 रकबा 03 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत राजस्व वाद में पारित आदेश के खिलाफ अदालत हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत प्रस्तुत अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र बाबत अदालत हाजा द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2012 को पारित आदेश के संदर्भ में अपीलार्थीगण-प्रार्थीगण की ओर से यह अवमानना प्रार्थनापत्र जाहिर किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र नियमानुसार दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त अवमानना प्रार्थनापत्र बाबत सुनी गयी,। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं बिन्दुओं को दोहराते हुए विद्वान वकील प्रार्थीगण श्री अक्षय दवे ने कथन किया कि मूल दावा सन् 2010 में खसरा संख्या 848 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा बाबत प्रस्तुत हुआ, दौराने वाद सन् 2011 में उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थीगण को किया गया, किन्तु कानून की समुचित जानकारी के अभाव में केतागण को मामलें में पक्षकार नहीं बनाया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के खिलाफ अपील	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

24/7
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

विविध/अवमानना प्रा.पत्र संख्या-004/2012
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2012/00004)
अमरसिंह बनाम उषादेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी
	अपील अंतरिम आदेश खसरा संख्या 848 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के संबंध में बेचान या किसी भी प्रकार के निर्माण बाबत रोक लगायी गयी, अर्थात प्रतिबन्धन भूमि बाबत था जो अजनबी व्यक्तियों सहित सब पर लागू होता है। मगर इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05 मार्च 2012 को प्रातः काल के समय मौके पर निमार्ण सामग्री डाल दी। तब दिनांक 06 मार्च 2012 को प्रार्थी-पक्ष की ओर अदालत हाजा के समक्ष अवमानना प्रकरण पेश किया गया। जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थीगण श्री पूनाराम विश्नोई ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण मामले में पक्षकार नहीं थे, अतः उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना/अवमानना का कोई प्रकरण नहीं बनता हैं। प्रार्थीगण द्वारा मामले में तहसीलदार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि भूमिधारी होने के कारण मामल में अनिवार्य पक्षकार होता है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में यह भी आक्षेप उठाया कि विधिवत तहसीलदार से मौके की कोई औपचारिक रिपोर्ट आदि प्राप्त कर तथ्यों को सिद्ध नहीं किया गया है, मात्र स्वंय के स्तर पर छायाचित्र पेश कर दिये गये है, कोई अधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। प्रत्युत्तर में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अमरसिंह के पिता भारतसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में से बेचान अप्रार्थीगण के पक्ष में दौराने वाद किया गया था, यह सही है कि बेचान के बाद उन्हें नियमानुसार पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी, उसके पिता एवं भाई की पुश्तैनी भूमि है जिसमें पुश्तैनी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

विविध/अवमानना प्रा.पत्र संख्या-004/2012
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2012/00004)
अमरसिंह बनाम उषादेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी

आधार पर प्रार्थी का अपने भाई एवं पिता के समान बराबर हक व अधिकार है एवं विधिवत बंटवारे के बिना किसी भी पुश्तैनी अविभाजित भूमि के किसी भू-भाग विशेष को खरीद-फरोख्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जानकारी के अभाव में यदि वक्त बेचान के बाद यदि अप्राथीगण को मामले में पक्षकार नहीं भी बनाया गया, तो भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश वादग्रस्त आराजी बाबत था, जो स्ट्रेंन्जर परचेजर सहित सभी पर समान तौर पर लागू होता हैं, ऐसी स्थिति में अप्राथीगण द्वारा यह कथन किया जाना कतई सही नहीं है कि मामले में पक्षकार नहीं थे और उन पर अवमानना अथवा अवहेलना का नियम लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी रखने पर अप्रार्थीगण को अदालत हाजा के स्थगन आदेश से अवगत भी कराया गया, मगर वे नहीं माने। यहॉ तक कि अदालत हाजा के समक्ष उनके द्वारा स्थगन आदेश संबंधित अपील संध 21/2012 में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर स्थगन आदेश अपास्त करने का भी अनुरोध किया। इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उन्हें अदालत हाजा के स्थगन आदेश की समुचित जानकारी हो चुकी थी। (प्रपत्र तीन के संलग्न उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा पेश की गयी), अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, साथ ही बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा

4/2/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

विविध/अवमानना प्रा.पत्र संख्या-004/2012
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2012/00004)
अमरसिंह बनाम उषादेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी
	नकल प्रार्थनापत्र से संबंधित पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। इन सभी के समग्र अवलोकन, विवेचन एवं मनन के उपरान्त यह विदित होता है कि अदालत हाजा द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 21/2012 में आराजी खसरा संख्या 848 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम नया पदाला बेरा, मण्डोर द्वितीय तहसील जोधपुर के संबंध में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24 फरवरी 2012 को जारी की गयी थी। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा की अवधि पेशी-दर-पेशी बढायी जाती रही। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा अस्तित्व में रहने के दौरान ही वर्तमान अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या दो जितेन्द्रसिंह के शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश कर खसरा संख्या 848 की भूमि स्व. भारतसिंह की स्वार्जित होना एवं स्व. भारतसिंह से अप्रार्थीगण द्वारा सद्भावनापूर्वक मूल्यवान प्रतिफल चुका कर क्रय किया जाना जाहिर करते हुए उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। इससे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि अप्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में खसरा संख्या 848 बाबत जारी अस्थायी अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत समुचित जानकारी उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 13 मार्च 2012 तक भलीभांति हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वर्तमान अवमानना प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपने लिखित जवाब में पेज संख्या 3 पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

विविध/अवमानना प्रा.पत्र संख्या-004/2012
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2012/00004)
अमरसिंह बनाम उषादेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी

बिन्दु संख्या 6 में यह वर्णित किया जाना कि **उन्हें अपील में दिनांक 24.02.2012 को अथवा कभी कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने की कोई जानी नहीं थी** एक सफेद झूठ के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, इससे आगे अपने इसी जवाब के पेज संख्या 3-4 में अंकित बिन्दु संख्या 7 में अप्रार्थीगण ने 04 मार्च 2012 के बाद वादग्रस्त आराजी पर स्वयं द्वारा निर्माण कार्य किया जाना भी वर्णित किया है।

इससे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि अप्रार्थीगण को अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 21/2012 में आराजी खसरा संख्या 848 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम नया पदाला बेरा, मण्डोर द्वितीय तहसील जोधपुर के संबंध में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24 फरवरी 2012 की समुचित जानकारी हो चुकी थी, उनके द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा अपास्त कराने हेतु अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थनापत्र भी पेश किया था।

इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अदालत हाजा के आदेश की साशय अवमानना करना सिद्ध होने से उन्हें न्यायालय के आदेशों की अवमानना का दोषी करार दिया जाता है। दण्ड के विषय में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर और अभिलेख पर विचार करने के उपरान्त यह समीचीन प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करने की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

9/4/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

विविध/अवमानना प्रा.पत्र संख्या-004/2012
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2012/00004)
अमरसिंह बनाम उषादेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी

अप्रार्थीगण को समुचित अवधि के सिविल कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को एक माह की अवधि का सिविल कारावास भुगताने की सजा दी जाती है।

नियमानुसार निर्वाह भत्ता व प्रोसेस फीस देने पर गिरफ्तारी वारण्ट जरिये एस.एच.ओ. पुलिस थाना मण्डोर कण्टेम्टनर्स (अप्रार्थीगण) --

1. श्रीमती उषादेवी सांखला पत्नी मुकेश कुमार जाति माली, निवासी मकान नम्बर 2, पुनित नगर, नयापुरा मण्डोर, जोधपुर
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र रणुसिंह राजपूत, निवासी अणवाणा, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर
3. मूलचन्द गहलोत पुत्र जीवनराम गहलोत जाति माली, निवासी गहलोतों का वास, मगरा पूंजला, जोधपुर
4. मुकेश कुमार पुत्र सम्पतसिंह जाति माली, निवासी मकान नम्बर 2, पुनित नगर, नयापुरा मण्डोर, जोधपुर

को आद्यूत किया जावे।

आदेश आज दिनांक 24 जुलाई 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/18

राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर